फा0सं0 20/3/2010-एस सी
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(रबड़ प्रकोष्ठ)

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011
दिनांक 28 अक्तूबर, 2010

सेवा में,

समस्त राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों (यू टी) के मुख्य सचिव

विषयः " निर्यात अवसंरचना के विकास एवं संबद्ध कार्यकलापों हेतु राज्यों को सहायता स्कीम (ए एस आई डी ई) " के तहत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश ।

एसाइड स्कीम के संबंध में संसदीय लोक लेखा समिति (पी ए सी) की 23वीं रिपोर्ट (दिनांक 31/08/10 को लोक सभा में प्रस्तुत) में समिति की समुक्तियों के आधर पर मुझे एसाइड के मौजूदा कार्यढांचे के भीतर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को बेहतर कार्य-निष्पादन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी करने का निर्देश हुआ हैः

1. एसाइड के वार्षिक आवंटन के 10 प्रतिशत हिस्से को प्रोत्साहन स्कीम के लिए अलग रखा गया है । राज्य संघटक में से प्राप्त निधि एन ई आर (पूर्वोत्तर क्षेत्र अर्थात सिक्किम सहित 8 पूर्वोत्तर राज्य) को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए होगी तथा केन्द्रीय संघटक से प्राप्त निधि एन ई आर राज्यों के लिए होगी ।

2.1 इस 10 प्रतिशत पूल निधि में से पात्र राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं को वाणिज्य विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाएगा ।

2.2 इस स्कीम के तहत किया जाने वाला वित्त पोषण ब्लॉक वित्त पोषण न होकर परियोजना विशिष्ट होगा । (जैसा कि इस समय एसाइड राज्य संघटक के तहत प्रावधान है) ।

3.1 राज्यों का चयन एसाइड परियोजना के कार्यान्वयन में उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर किया जाएगा ।

एसाइड का सफल और समय पर कार्यान्वयन मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता हैः

(क) अन्य स्रोतों से निधि प्राप्त करना

(ख) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा निधि के व्यय की समुचित गति, तथा

(ग) लागत से अधिक खर्च से बचने के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का समय पर निपटान इत्यादि

3.2 उपर्युक्त तीन मानदण्डों के आधार पर राज्यों काय अंतिम चुनाव वाणिज्य विभाग द्वारा किया जाएगा ।

4.1 गत 9 वर्षों के दौरान एसाइड के कार्यान्वयन से निम्नलिखित अपेक्षाएं भी सामने आई हैं :-

(क) परिणाम की गुणवत्ता पर बल दिए जाने की आवश्यकता है, तथा

(ख) एक ऐसी प्रणाली की संस्थापना की जाए जिसके अंतर्गत ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति से बचा जा सके, जहाँ राज्य सरकारें एसाइड के दिशानिर्देशों के विपरीत कार्यान्वयन करती है ।

जब कभी इस प्रकार के व्यतिक्रम का मामला सामने आता है तो संबद्ध राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को प्रस्तावित प्रोत्साहन स्कीम के तहत वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु पात्र करार किया जाएगा ।

4.2 जहां तक बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने का संबंध है, यह मूल रूप से संयुक्त सचिवों द्वारा प्रस्तुत उनके नोडल राज्यों के स्थल-भ्रमण से संबंधित रिपोर्टों तथा भारत सरकार एवं संबद्ध राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश के अन्य अधिकारियों द्वारा किए गए स्थल-दौरों से संबंधित रिपोर्टों पर आधारित होगा ।

5.1 स्वीकृत की जाने वाली परियोजनाएं सुस्पष्ट एवं वास्तविक होनी चाहिए और एसाइड स्कीम के मौजूदा दिशानिर्देशों के दायरे में आनी चाहिए ।

5.2 इस प्रोत्साहन स्कीम के तहत ऐसी बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृत किया जाएगा जिनसे निर्यात पर पड़ने वाला प्रभाव सुस्पष्ट एवं वास्तविक हो तथा जिसमें विदेश व्यापार संबंधी अवसंरचनात्मक विकास के मामले में संबद्ध राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश की सक्रिय भागीदारी हो । यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि इन परियोजनाओं को शुरू करने और उनके सम्पूर्ण कार्यान्वयन में 2 से 3 वर्ष का समय लग सकता है ।

6. एन ई आर को छोड़कर अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिएः

6.1 सामान्य रूप से प्रत्येक परियोजना का मूल्य अनुमानतः 30 करोड़ रूपए तक का होना चाहिए । यह एक से अधिक परियोजना के लिए भी हो सकता है । परियोजना का कार्यान्वयन

वाणिज्य विभाग तथा संबद्ध राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश द्वारा सामान्य व्यय (1 : 1) के आधार पर किया जाएगा । तथापि, वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम सीमा कम से कम 20 करोड़ रूपए होनी चाहिए ।

वित्त वर्ष 2011-12 के लिए परियोजना का न्यूनतम मूल्य कम से कम 30 करोड़ रूपए होना चाहिए । इस प्रोत्साहन स्कीम के तहत, इसमें से अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार - (वाणिज्य विभाग) द्वारा दिया जा सकता है ।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी पी पी) पद्धति के तहत कार्यान्वित परियोजनाओं के मामले में, जब भी व्यवहार्यता अंतर संबंधी वित्त पोषण को स्वीकृति दी जाती है, केन्द्र सरकार (वाणिज्य विभाग) तथा राज्य सरकार का योगदान भी 1 : 1 आधार पर होगा ।

6.2 चालू वित्त वर्ष के लिए प्रत्येक पात्र राज्य को वाणिज्य विभाग द्वारा 20 करोड़ रूपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा । अर्थात सरकार को योगदान 40 करोड़ रूपए होगा । राज्य सरकार के राजकोष से न्यूनतम 20 करोड़ रूपए सहित

7. सिक्किम सहित एन ई आर राज्यों के लिएः

7.1 सामान्य रूप से प्रत्येक परियोजना का मूल्य लगभग 5 करोड़ रूपए होना चाहिए । तथापि, चालू वित्त वर्ष के लिए न्यूनतम सीमा 2 करोड़ रूपए होगी ।

7.2 परियोजना लागत में से, इस स्कीम के तहत वाणिज्य विभाग द्वारा अधिकतम 80 प्रतिशत की सहायता प्रदान की जा सकती है । शेष 20 प्रतिशत राशि पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंधित राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी । यह वित्त पोषण आनुपातिक (4 : 1) आधार पर किया जाएगा ।

तथापि चालू वित्त वर्ष के लिए आनुपातिक योगदान समान आधार (9 : 1) पर होगा । अर्थात संबद्ध एन ई आर राज्य सरकार द्वारा परियोजना लागत का केवल 10 प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध कराया जाएगा ।

भवदीय

(ए.के.बाम्बा)
निदेशक
(दूरभाषः 23062109,फैक्सः 23063418)

प्रतिलिपि